न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

मिस0अपील वाद सं0–02 / 2021–22

श्वेता मरांडी एवं अन्य
बनाम
रतन हॉसदा एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20.01.2023	**आदेश** यह अपीलवाद, अपीलकर्ता (1) श्वेता मराण्डी (ग्राम प्रधान) पति–जेम्स लोदो मुर्मू एवं (2) चतुर मराण्डी, पिता–स्व0 बुधन मराण्डी दोनों का सा0–करियोडीह, थाना–लिट्टीपाडा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रे0 मिस0 वाद सं0– 162 / 2020–21 में दिनांक 22.12.2021 को पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध (1) रतन हॉसदा, पिता–स्व0 सलखू हॉसदा सा0–करियोडीह, थाना–लिट्टीपाड़ा एवं (2) 16 आना रैयत, मौजा–करियोडीह, थाना–लिट्टीपाड़ा को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादी स0–01 रतन हॉसदा के द्वारा मौजा करियोडीह के गोड़ाईत पद पर अपनी नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। जिसके आधार पर रा0वि0 वाद–162 / 2020–21 संस्थित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2022 को अंतरिम आदेश पारित किया गया कि प्रश्नगत मौजा में गोड़ाईत के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति में एवं ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा आहुत कर मौजा के जमाबन्दी रैयतों की सहमति से गोड़ाईत पद पर सुयोग्य जमाबन्दी रैयत का चयन कर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा जाय। निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता स0–01 श्वेता मराण्डी मौजा–करियोडीह की नियुक्त ग्राम प्रधान है। प्रश्नगत मौजा के नियुक्त गोड़ाईत एक चतुर सोरेन थे, जिनकी मृत्यु के बाद बुधन मराण्डी नियुक्त हुए। बुधन मराण्डी के अत्यन्त वृद्ध हो जाने एवं कार्य कर पाने में असमर्थता के कारण ग्रामीणों द्वारा अपीलकर्त्ता सं0–01 की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2021 को एक बैठक बुलाई गई। उक्त बैठक में ग्रामीणों के समर्थन एवं सहमति पर अपीलकर्त्ता स0–02 चतुर मराण्डी को प्रश्नगत मौजा का गोड़ाईत चुना एवं नियुक्त किया गया। उक्त ग्रामीण बैठक का	

2nd party

Scanned by CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

कागजात भी तैयार किया गया। चतुर मराण्डी की गोड़ाइत पद नियुक्ति की सूचना विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को दी गई जिसे रा0वि0 वाद स0–06/2021–22 में संचिकास्त किया गया। उक्त नियुक्ति के बाद से ही वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम सभा कराने संबंधी आदेश पारित किया गया है। गोड़ाईत का पद ग्राम प्रधान के मातहत है एवं इसकी नियुक्ति का अधिकार केवल ग्राम प्रधान को ही है। SPT Act 1949 में गोड़ाईत, प्रमाणिक, नाईकी आदि ग्राम प्रधान के अधिनस्त पदों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी प्रावधान नहीं है कि इन पदों के लिए 2/3 जमाबन्दी रैयतों का मत प्राप्त किया जाए। गोड़ाईत एवं अन्य सहयोगी पदधारकों का कार्य ग्राम प्रधान के कार्यों में सहायता देना है तथा इनका कार्य सरकार से संबंधित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश संथाल कस्टम को बर्बाद एवं महत्वहीन करने वाला है, जो कानून की नजर में गलत है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी स0–01 का कहना है कि गोड़ाईत का पद ग्राम प्रधान का अधिनस्त एवं सहयोगी पद है। प्रश्नगत मौजा के खतियानी गोड़ाईत छोटो झांबू हाँसदा थे जिनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सलखू हांसदा द्वारा गोड़ाईत का कार्य किया गया। सलखू हांसदा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उत्तरवादी स0–01 ग्रामीणों के समर्थन से गोड़ाईत का कार्य कर रहें हैं। अपीलकर्त्ता स0–01 के द्वारा बिना रैयतों की सहमति के अपीलकर्त्ता स0–02 को गोड़ाईत पद पर नियुक्त कर दिया गया है जो गलत है। गोड़ाईत के पद पर नियुक्ति हेतु जमाबन्दी रैयतों की सहमति आवश्यक है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के तहत प्रश्नगत मौजा में राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति में तथा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा कराने तथा सुयोग्य व्यक्ति का चयन कर प्रस्ताव भेजने का अंतरिम आदेश दिया गया है। यह अन्तिम आदेश नहीं है। इस स्टेज पर इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। पक्षकर निम्न न्यायालय

Scanned by CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील/रिविजन दायर करने हेतु स्वतंत्र होगें।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/1/23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

20/1/23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.27 15:41:27 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8fd:284e:3557:aac1

Scanned by CamScanner